

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/104/2018

प्रवेश तिथि  
25-06-2018

निर्णय दिनांक  
24-01-2019

01-आसू पुत्र राजू जाति मेव निवासी ग्राम मांदला खुर्द, तहसील रामगढ जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01-नायब तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर

रेसपौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ

दिनांक 28.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 166/2018

उपस्थित:-

01-श्री जनार्दन शर्मा

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 28.03.2018 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 673/3.25 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेसपौ0 को जयें राममान तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 673/3.25 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.02.2018 में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने राजा व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरुद्ध दिनांक 25.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि पटवारी हल्का के बयान छपे छपाये साईकलोस्टाईल प्रोफॉर्मा में लिये गये हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की वस्तुस्थिति को नहीं दर्शाकर केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट नायब तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषिम की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। वकील अपीलाण्ट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 20.02.2019 को नायब तहसीलदार रामगढ के न्यायालय में उपस्थित हों। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलाण्ट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(ओपी0जैन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)